DRA Annual International Conference On
Developed India @2047: Global Pathways for Sustainable Socio- Economic, Linguistic, Science and Technological Transformation

Ind. Jr. of Mod. Res. and Rev *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 [Special Issue 1] Year 2026*

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

ग्रामीण विकास एवं परिवार प्रणाली

रूप सिंह
शोधकर्ता जेएनवीयू जोधपुर, अतिरिक्त विकास अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * रूप सिंह

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22659466

सारांश

ग्रामीण परिवारः स्वरूप एवं विशेषताएं:परिवार मानव समाज की आधारभूत इकाई है, जिसका जन्म प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं से हुआ और विकास सांस्कृतिक-सामाजिक आधार पर हुआ। ग्रामीण परिवेश में परिवार का अर्थ केवल एक गृहस्थी समूह नहीं, बल्कि पति-पत्नी, माता-पिता-संतान और भाई-बहनों के प्रगाढ़ संबंधों का जाल है। ग्रामीण परिवारों की मुख्य पहचान उनकी सजातीयता, संयुक्त परिवार प्रणाली, अनुशासन, पितृसत्ता और कृषि पर आधारित आत्मनिर्भरता है। हालांकि, आधुनिक दौर में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से ये परिवार एकल इकाइयों में परिवर्तित हो रहे हैं।

ऐतिहासिक प्रशासनिक प्रणालियां:

भारतीय ग्रामीण व्यवस्था ने समय के साथ कई प्रशासनिक बदलाव देखे हैं:

प्राचीन कालः भारतीय ग्राम स्वायत्त गणराज्यों के समान थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारण ग्राम सभाएं स्वतंत्र थीं। केंद्र का हस्तक्षेप न्यूनतम था और गांव न्याय व लगान के मामलों में आत्मनिर्भर थे।

मध्यकाल (सल्तनत एवं मुगल काल)ः इस काल में विकेंद्रीकरण की जगह नियंत्रण ने ले ली। मुकद्दम, चैधरी और खूत जैसे पद सृजित हुए जो शासन और जनता के बीच की कड़ी बने। मुगलों ने ग्राम पंचायतों को शिक्षा व सफाई जैसे कार्यों के लिए संरक्षण तो दिया, लेकिन गांवों की निर्भरता परगना अधिकारियों पर बढ़ गई।

ब्रिटिश कालः यह काल भारतीय गांवों के लिए सर्वाधिक शोषणकारी रहा। अंग्रेजों की भू-राजस्व नीतियों ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को नष्ट कर दिया। किसान निर्धन हो गए और कृषि व्यवस्था चरमरा गई। स्वाधीनता तक आते-आते भारतीय गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़ गए।

निष्कर्ष एवं वर्तमान स्थिति: स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक सरकारों ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ कीं। हालांकि सात दशकों के बाद भी ब्रिटिश काल के प्रतिकूल प्रभावों और कृषि पर बढ़ते दबाव के कारण गांवों की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए शासन-प्रशासन की जवाबदेही और आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों का सही क्रियान्वयन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 01-03-2026
- **Accepted:** 24-06-2026
- **Published:** 02-07-2026
- **MRR:**4(SP1); 2026: 238-241
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

सिंह सिं. ग्रामीण विकास एवं परिवार प्रणाली. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(SP1):238-241.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: ग्रामीण, विकास, परिवार, प्रणाली, प्रशासन।

© 2026 रूप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

1.1 ग्रामीण परिवार की विशेषताएं:-

प्रारंभ में परिवार का निर्माण प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ जो कालांतर में मानव की विविध सांस्कृतिक - सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गया, वैसे भी इसी परिवार के कारण ही मानव अमर है, जिसके उद्भव-उद्विकास के साथ-साथ उसके अनेक रूप प्रकट हुए। वस्तुतः परिवार वह समूह है जो कि लिंग संबंध पर आधारित है और वह बहुत छोटा मगर इतना स्थायी है कि प्रजनन के साथ ही जन्में शिशुओं की परवरिश करने में समर्थ रहता है, भले ही उसका आर्थिक स्तर पर सर्वाधिक निम्न स्तर का ही क्यों ना हो। वैसे भी परिवार ही वह समूह है, जहां स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न संतान परिवार का निर्माण करते हैं। मूलतः परिवार की संरचना पति-पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। परिवार एक गृहस्थी समूह है जिसमें माता-पिता और संतान साथ-साथ रहते है। इसके मूल में दंपति और संतान रहती है।

ग्रामीण परिवार में इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम तीन प्रकार के संबंध विद्यमान होते हैं, पहला- पति पत्नी के संबंध दूसरा माता-पिता एवं बच्चों के संबंध और तीसरा भाई बहनों के संबंध। पहले प्रकार का संबंध वैवाहिक संबंध होता है दूसरे और तीसरे प्रकार के संबंध रक्त संबंध होते हैं। इसी आधार पर परिवार के सदस्य परस्पर नातेदार भी है। एक परिवार में वैवाहिक एवं रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है। इन संबंधों के अभाव में परिवार का निर्माण संभव नहीं है। प्रारंभ में परिवार का निर्माण प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ जो आगे चलकर मानव की अनेक सामाजिक- सांस्कृतिक आवश्यकता बन गया, इसलिए ग्रामीण परिवारों जिनके विकास में ही समूचे गांव का विकास निहित है, उन्हें इस तरह परिभाषित किया गया है- परिवार ही वह समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है।

पर्यावरण ने ग्रामीण परिवारों को प्रभावित कर उन्हें विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है, यही कारण है कि ग्रामीण परिवार की विशेषताएं अन्य परिवारों से भिन्न है। ग्रामीण परिवार की मूल विशेषताएं अधिकाधिक सजातीयता, संयुक्त परिवार की प्रधानता, कृषक- गृहस्थी पर आधारित, अनुशासन एवं अन्योन्याश्रिता, पारिवारिक अहंमन्यता की प्रबलता, परिवार में पिता की सत्ता तथा विभिन्न कार्यों में घनिष्ठ सहभागिता । संयुक्त परिवार प्रणाली जो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है उसका कार्य ग्रामीण समाज में बहुत उपयोगी है मगर वर्तमान में ग्रामीण संयुक्त परिवार कई कारणों से परिवर्तित हो रहा है। इन कारणों में प्रमुख औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति, कानूनों का प्रभाव, पारिवारिक झगड़े यातायात के नवीन साधन, जनसंख्या में वृद्धि, व्यक्तिवादिता, नारी स्वतंत्रता आदि है। फिर भी ग्राम्य समाज में ऐसे परिवार पर्याप्त निश्चित संबंधों से परिभाषित ऐसे समूह है जो भावी पीढ़ी के निर्माण का उपक्रम करते हैं।श्3 इसी भावी पीढ़ी के सर्वांगीण निर्माण के लिए परिवार के प्रमुख एवं बड़े सदस्यों की तो भूमिका सर्वाधिक तथा अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण होती ही है। शासन - प्रशासन का उत्तरदायित्व भी गुरुत्तर है। गांवों में सर्वप्रथम मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता और तत्पश्चात आधुनिक विकसित प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक संसाधनों के आधार पर ग्रामों के विकास की दिशा में उनके सतत प्रयासों का कार्यक्रमों, योजनाओ, परियोजनाओं के रूप में परिलक्षित होना नितांत आवश्यक है। इस क्रम में भारतीय ग्राम्य जीवन, गांव की दशा-दिशा और इनके कारकों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

1.2 प्राचीन भारतीय प्रणाली:-

प्राचीन भारत में राजतंत्र ही प्रमुख शासन व्यवस्था थी और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनाई गई मगर साथ ही शासन के विकेंद्रीकरण को भी व्यावहारिक रूप दिया गया इसी तरह प्रशासनिक नीतियों में जिनमें ग्रामीण विकास सर्वोपरि लक्ष्यों में से एक रहा, उनमें स्थानीय परंपराओं का ध्यान रखा जाता था । प्राचीन भारतीय साहित्य में ग्रामों का अस्तित्व ही बहुतायत में था। अतएव ऐसी प्रवृत्तियों का विकास होना स्वाभाविक ही था, जबकि ग्राम का अर्थ गांव ही नहीं था, संभवतः वह नगर का भी द्योतक था, फिर भी गांव, खर्वट तथा नगर के अंतर को स्मृतिकारों ने पूरी तरह से स्पष्ट किया गया ।श्4 प्राचीन भारत में स्वायत्त ग्राम संस्थाओं का अस्तित्व था । केंद्र में चाहे जो शासन हो, उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ग्राम का स्थानीय शासन स्वतः संचालित था और कर, आक्रमण, रक्षा आदि के अतिरिक्त केंद्रीय शासन का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था, मात्र सामान्य नियंत्रण था। ग्राम संस्थाएं मानो छोटे- छोटे राज्य के रूप में कार्य करती थी। केंद्र सरकार ने अपने बहुत सारे अधिकार ग्राम संस्थाओं को दे दिए थे। बहुत से माल- फौजदारी के मुकदमे भी ग्राम संस्थाओं के अधिकार में थे।'

भारत में यही स्थिति मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना अर्थात सल्तनत कालीन शासन स्थापित होने से पूर्व तक रहे। पूर्व मध्यकाल तक सबसे छोटी इकाई गांव थी जिनकी अपनी पंचायतें थी जिसमें ग्राम पति, पट्टकलि, ग्राम कूट आदि प्रमुख थे। ग्राम प्रशासन के मामले में जो स्वायत्तता प्राचीन काल से प्राप्त थी, वह स्वायत्तता तेरहवीं शताब्दी तक सुरक्षित रही। ग्राम सभाएं ग्राम प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी। वे भूमि संबंधी विवाद और छोटे-मोटे न्याय के काम किया करती थी। इस प्रकार शासन प्रशासन तथा विकास के मामले में विगत शताब्दियों की परंपरा का ही पालन किया जाता रहा।

1.3 मध्यकालीन भारतीय प्रणाली

भारत मे चैदहवीं शताब्दी में मुस्लिम सत्ता अर्थात सल्तनत के विस्तार के कारण परंपरागत शासन प्रणाली को पूरी तरह से परिवर्तित करते हुए नया स्वरूप दिया गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यद्यपि गांव को माना गया, फिर भी वहां राज्य की ओर से मुकद्दम, खूत अथवा चैधरी के पद नाम से अधिकारियों को नियुक्त किए जाने की प्रणाली का सूत्रपात हुआ। वे गांवों से राजस्व की वार्षिक राशि केंद्र को भेजने का दायित्व निभाते थे, जिसका निर्धारण गांव के पिछले प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता था। भारत में मुगल शासन की स्थापना के बाद इस व्यवस्था में और परिवर्तन आया। प्राचीन काल से पूर्वमध्यकाल तक स्व-शासन के लिए नियंत्रण गांव विकास की दृष्टि से स्वयं समर्थ थे, वे अब सीधे तौर पर परगना अधिकारियों के अधीन हो गए और विकास के संबंध में उनकी निर्भरता उन पर हो गई, इन्हीं परगनों के अंतर्गत कई गांव हो गए थे। मुगल शासन काल में फिर भी गांव को प्रशासन की इकाई के रूप में मान्यता देते हुए स्वायत्त संस्था

© 2026 रूप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

माना गया तथा गांव के स्थानीय प्रशासन एवं संस्था को संरक्षण प्रदान किया। मुगल शासको ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की तरह गांवों के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने यह अवश्य किया कि गांव को प्रशासनिक तंत्र के अधीन लेते हुए ग्रामीण समुदायों को उनके क्षेत्र में होने वाले अपराधों के लिए उत्तरदायी बना दिया गया। इस काल में भी ग्राम अधिकारी के रूप में खूत, मुकद्दम अथवा चैधरी पद नाम का प्रभुत्व रहा जो गांव और शासन के मध्य कड़ी था, ग्रामवासी मुगल शासन तक इसी के माध्यम से अपने अभाव अभियोग प्रस्तुत करते थे। इस काल में ग्राम प्रधान, पटवारी जैसे पद भी सृजित किए गए साथ ही ग्राम पंचायत को शिक्षा, सफाई, राहत जैसे कार्यों के दायित्व भी सौंपे गए।'

1.4 ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रणाली

ब्रिटिश शासकों ने मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन तथा उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना के बीच अठारहवीं शताब्दी में भारत को जिस तरह अपने उपनिवेश में बदल दिया, विकास की दृष्टि से भारतीय गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए, अर्थात उनके पिछड़ने का जो क्रम शुरू हुआ वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ब्रिटिश शोषण नीति से सर्वाधिक ग्रसित भी भारतीय गांव ही हुए। अंग्रेज अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जीवन का आधार गांव थे जिन्हें ग्रामीण राजतंत्र की संज्ञा दी गई, साथ ही यह भी कहा गया कि भारतीय गांव बाहरी प्रभावों से बिल्कुल परे थे, इसलिए उन्हें जड़ माना गया तथा उनके विकास की समूचे ब्रिटिश शासनावधि अर्थात् सन् 1947 तक पूरी तरह से अपेक्षा की गई दूसरी और ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय कुलीन वर्गों ने भूमि पर अपने अधिकार को और भी मजबूत कर लिया।

ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय गांव पहले की तरह आत्मनिर्भर नहीं रहे और उनकी आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट आई। कृषि आधारित आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा जिससे भूमिहीन, मजदूर और किसान निर्धन से निर्धनतम हो गए। बढ़ती गरीबी, अकाल और कृषि में ठहराव ने गांव की हालत खराब कर दी, स्वाधीनता पूर्व तक भारत के अधिकांश गांव जिनमें मरूप्रदेश के गांवों की संख्या अधिक थी, बद से बदतर स्थिति में पहुंचकर सभी बुनियादी जरूरतों से वंचित हो गए। स्वाधीन भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित तथा भारतीयों के मतों से निर्वाचित सरकार के बनने के बाद गांवों के विकास की ओर ध्यान जरूर गया मगर सात दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती क्योंकि लोगों पर ब्रिटिश शासन में सरकार के प्रभाव का अर्थ मूलतः गांव की सरकार पर था जिसके जो विपरीत परिणाम निकले उनको अनुकूल करने में समय लगना स्वाभाविक ही था । इस प्रतिकूलता का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पर बढ़ता दबाव था जिससे अत्यधिक गरीबी और पिछड़ेपन के हालात बने। स्वाधीनता पश्चात से लेकर अब तक बनी केंद्र तथा राज्य, दोनों सरकारों ने यद्यपि गांव में विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अनेक योजनाओं- परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रवर्तन किया मगर उनका सकल परिणाम आशानुरूप आना शेष है। करीब पचहत्तर वर्ष के तमाम उद्यमों के बाद भी गांवों का अविकसित-पिछड़ा रहने के पीछे कई कारण निहित है जिनका उल्लेख पृथक से और विस्तृत रूप से करना समीचीन है।

1.5 वर्तमान स्थिति

स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक सरकारों ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ कीं। हालांकि सात दशकों के बाद भी ब्रिटिश काल के प्रतिकूल प्रभावों और कृषि पर बढ़ते दबाव के कारण गांवों की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए शासन-प्रशासन की जवाबदेही और आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों का सही क्रियान्वयन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

1.6 निष्कर्ष एवं सुझाव

ग्रामीण विकास केवल बुनियादी ढांचे या सड़कों के निर्माण तक सीमित नहीं है; यह मानवीय मूल्यों, सामाजिक ताने-बाने और आर्थिक स्वावलंबन का संगम है। भारतीय संदर्भ में, परिवार ग्रामीण जीवन की धुरी है। ग्रामीण विकास की किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह परिवार प्रणाली को कितनी मजबूती से समाहित करती है।

यहाँ ग्रामीण विकास में परिवार प्रणाली की भूमिका और उसे सशक्त बनाने हेतु निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं

1. संयुक्त परिवार प्रणाली का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार परंपरा रही है, जो अब धीरे-धीरे बिखर रही है। इसे आधुनिक संदर्भ में फिर से जोड़ने की आवश्यकता है।

संसाधनों का साझा उपयोग:- परिवार के सदस्यों को भूमि, कृषि उपकरण और पशुधन का सामूहिक उपयोग करना चाहिए। इससे लागत कम होती है और लाभ बढ़ता है।

सामाजिक सुरक्षा कवच:- संयुक्त परिवार बुजुर्गों के लिए सम्मान और बच्चों के लिए उचित देखरेख सुनिश्चित करता है, जिससे सरकार पर सामाजिक सुरक्षा का बोझ कम होता है।

2. परिवार-आधारित सूक्ष्म उद्यमिता

ग्रामीण विकास का सबसे प्रभावी तरीका परिवार को एक श्आर्थिक इकाईश् के रूप में विकसित करना है।

कुटीर उद्योग:- हर परिवार अपनी पारंपरिक कुशलता (जैसे- बुनाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण) को एक छोटे व्यवसाय में बदल सकता है।

मूल्य संवर्धन:- किसान परिवार केवल कच्चा माल बेचने के बजाय, घर पर ही उसकी प्रोसेसिंग (जैसे- हल्दी पाउडर बनाना, अचार, पापड़) करके अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।

स्टार्टअप संस्कृतिरू ग्रामीण युवाओं को परिवार के सहयोग से कृषि-तकनीक में नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. महिला सशक्तिकरण और निर्णय प्रक्रिया

ग्रामीण परिवार में महिलाओं की भूमिका अक्सर श्रम तक सीमित रहती है, इसे बदलने की जरूरत है।

© 2026 रूप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

वित्तीय साक्षरता:- परिवार की महिलाओं को बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन में प्रशिक्षित करना चाहिए।
संपत्ति में अधिकार:- भूमि और आवास के पट्टे में महिलाओं का नाम होने से परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
स्वयं सहायता समूह परिवार को अपनी महिला सदस्यों को समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे परिवार में अतिरिक्त आय का स्रोत बने।

4. शिक्षा और कौशल विकास का पारिवारिक ढांचा

शिक्षा को केवल स्कूल तक सीमित न रखकर पारिवारिक संस्कार और कौशल से जोड़ना होगा।
पारंपरिक ज्ञान का हस्तांतरण:- बुजुर्गों के पास कृषि और आयुर्वेद का जो अनुभव है, उसे नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
डिजिटल साक्षरता:- परिवार के युवा सदस्यों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपने माता-पिता और बुजुर्गों को तकनीक (जैसे- ई-नाम, सरकारी ऐप) से जोड़ें।

5. स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन

एक स्वस्थ परिवार ही विकसित गाँव का निर्माण कर सकता है।
पोषण वाटिका:- हर ग्रामीण परिवार को अपने घर के पीछे एक छोटी वाटिका विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें रसायन मुक्त सब्जियां और फल मिल सकें।
स्वच्छता:- परिवार को सामूहिक रूप से जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
डिजिटल समावेशन
आज के दौर में डिजिटल परिवार का विचार आवश्यक है।
परिवार का शिक्षित युवा सदस्य अपने परिवार के बुजुर्गों और किसानों को सरकारी योजनाओं (जैसे पी एम किसान सम्मान निधि) और ई-मंडी से जोड़ सकता है। इससे बिचैलियों की भूमिका खत्म होगी।

निष्कर्ष:- ग्रामीण विकास का रास्ता परिवारों की खुशहाली से होकर गुजरता है। यदि हम नीतियों को व्यक्तिगत स्तर के बजाय परिवार केंद्रित बनाएं, तो विकास अधिक स्थायी और प्रभावी होगा।

संदर्भ सूची

1. मेयर एल. एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी. लंदन: क्लिंटन प्रेस; 1972. p. 89.
2. मर्डॉक जीपी. सोशल स्ट्रक्चर. लंदन: मैकमिलन; 1949. p. 1.
3. मेकाइवर आरएम, पेज सीएच. सोसायटी. p. 238.
4. भारद्वाज के. प्राचीन भारत में समाज एवं राज्य. जयपुर: पॉइंटर पब्लिशर्स; 1999. p. 120.
5. काणे पीवी. धर्मशास्त्र का इतिहास. भाग 2. 4th ed. लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान; 1992. p. 123.
6. वर्मा एच. मध्यकालीन भारत. भाग 1. दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय; 1999. p. 266.
7. वर्मा एच. मध्यकालीन भारत. भाग 2. दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस; 1999.
8. बैली सीए. लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स; 1973. p. 186.
9. अर्नोल्ड डी. फेमिन: सोशल एंड हिस्टोरिकल इम्पैक्ट. लंदन: विले-ब्लैकवेल पब्लिशर्स; 1991. p. 152.

Creative Commons License
This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

Disclaimer: The views, opinions, statements, and conclusions expressed in the papers, abstracts, presentations, and other scholarly contributions included in this conference are solely those of the respective authors. The organisers and publisher shall not be held responsible for any loss, harm, damage, or consequences — direct or indirect — arising from the use, application, or interpretation of any information, data, or findings published or presented in this conference. All responsibility for the originality, authenticity, ethical compliance, and correctness of the content lies entirely with the respective authors.

© 2026 रूप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/